महाराष्ट्र में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल: मुख्यमंत्री

मुंबई, 18 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल है। यहां भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आधुनिक बुनियादी ढांचे का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई के होटल ललित में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप आचार्य, कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रशांत कृष्णन, उपासना अरोड़ा और अवनीश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक है। इसके अगले चरण में रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना होगा और महाराष्ट्र इस प्रक्रिया के केंद्र में रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सम्मेलन के लिए 'भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को फिर से आकार देना' विषय चुना है, जो दोनों देशों के बीच निवेश, अनुसंधान, विनिर्माण और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र करीब 660 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और पिछले सात वर्षों से 10.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। राज्य की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 27 वर्ष से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है और विनिर्माण से लेकर मनोरंजन क्षेत्र तक राज्य की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी भारत-अमेरिका साझेदारी को नया स्वरूप दे रही है। दोनों पक्ष ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, नए डेटा सेंटर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हैं और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।

सम्मेलन में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप आचार्य, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, वेस्टर्न इंडिया काउंसिल के क्षेत्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र पोंक्षे और साउथ रीजन के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जाति जनगणना पर जयराम रमेश का केंद्र सरकार से सवाल, पूछा- जनगणना 2027 में विकल्प सूची क्यों नहीं?

नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब मोदी सरकार ने वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में जातियों का भरोसेमंद और एक समान आंकड़ा जुटाने के लिए विकल्पों की सूची को जरूरी बताया था, तो जनगणना 2027 में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया गया।

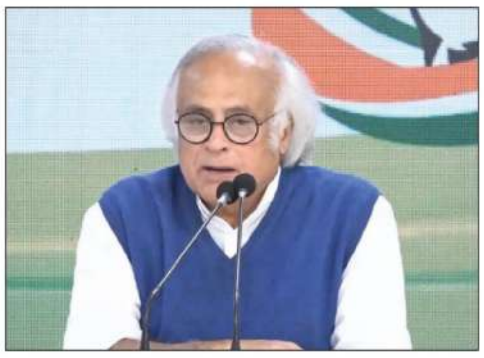

रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर जाति जनगणना की मांग को खारिज किया था। हालांकि, इसी हलफनामे के पैरा 12 (डी) में सरकार ने कहा था कि जातियों की रजिस्ट्री तैयार करने के लिए जातियों के चयन को लेकर विकल्पों की सूची देना बेहतर होगा। उनके अनुसार, इससे भरोसेमंद और एक समान आंकड़े जुटाने में मदद मिल सकती है।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि जब सरकार ने स्वयं 2021 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जातियों का समान और विश्वसनीय आंकड़ा जुटाने के लिए विकल्पों की सूची की जरूरत बताई थी, तो जनगणना 2027 में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि बिहार और तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षणों से पहले भी इस तरह की विकल्प सूची तैयार की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 5 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में इसी प्रकार की सूची उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था।

रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जाति जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है और इसे रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना कराने की घोषणा कर अपना पूर्व रुख बदल दिया था।

विद्यार्थी ऋण और अन्य ऋणों के आवंटन में न हो देरी: अभिषेक गर्ग

हमीरपुर, 18 अगस्त (हि.स.)। जिला स्तरीय समीक्षा एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को यहां हमीर भवन में एडीसी अभिषेक गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की उपलब्धियों एवं निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर एडीसी ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि वे आम लोगों को विभिन्न ऋण योजनाओं से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इससे उनके बैंकों का कारोबार बढ़ेगा, आम लोग लाभान्वित होंगे और जिला के ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशो) में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान जिला में 335.54 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए गए जो कि इस वित्त वर्ष के कुल निर्धारित लक्ष्य 2062.90 करोड़ का 18.61 प्रतिशत है। पहली तिमाही के दौरान जिला की सीडी रेशो करीब 24 प्रतिशत रही, जिसमें काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है।

अफसरों का कैडर घटाने से नहीं सुधरेगी अर्थव्यवस्था, सरकार बताए 200 करोड़ बचत का आधार: भाजपा

शिमला, 18 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कैडर कम करने की राज्य सरकार की योजना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जमवाल ने मंगलवार को कहा है कि सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं, वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस फैसले को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है।

शिमला से जारी बयान में राकेश जमवाल ने कहा कि सरकार की ओर से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कैडर कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामने आई जानकारी के अनुसार आईएएस कैडर को 153 से घटाकर 130 और आईपीएस कैडर को 118 से घटाकर 83 किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आईएफएस अधिकारियों के कैडर में भी कमी की बात सामने आई है। राज्य सरकार का दावा है कि इस कदम से करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी।

जमवाल ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कुछ अधिकारियों के पद कम करने से 200 करोड़ रुपये की बचत कैसे होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों का समाधान केवल कैडर घटाने से नहीं हो सकता। उनके अनुसार यदि सरकार वास्तव में खर्च कम करना चाहती है तो उसे वित्तीय अनुशासन और अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना चाहिए।

सोशल मीडिया सेंसरशिप लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला: खरगे

नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अभूतपूर्व तरीके से भारतीय नागरिकों के बोलने, सवाल पूछने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लागू की गई सेंसरशिप उतनी ही निंदनीय है जितनी युवाओं पर की गई लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल।

मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को एक अंग्रेजी अखबार के पोस्ट को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि मार्च से जुलाई 2026 के बीच सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को हर 68 सेकेंड में एक ब्लॉकिंग आदेश भेजा। इस दौरान कुल 1.95 लाख आदेश जारी किए गए। इनमें से 1 लाख आदेश इंस्टाग्राम पर, 80 हजार फेसबुक पर और 15 हजार यूट्यूब पर भेजे गए। इंस्टाग्राम छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख मंच रहा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन छात्रों और युवाओं के खिलाफ थी जो सड़कों पर अपने भविष्य और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब युवाओं की हड्डियां तोड़ी जा रही थीं, उसी समय उनकी आवाजें इंटरनेट से पोस्ट दर पोस्ट और रील दर रील मिटाई जा रही थीं।

खरगे ने कहा कि आज कोई भी पत्रकार, क्रिएटर या आम नागरिक अगर सरकार की आलोचना करता है तो उसे तुरंत पोस्ट हटाने, एफआईआर की धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सोशल मीडिया पर सामग्री हटाने का समय घटाकर 3 घंटे कर दिया है और सेंसरशिप को इतना ऑटोमेटेड कर दिया है कि किसी आदेश को लागू करने से पहले कोई मानव समीक्षा तक नहीं होती।

प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम करने के बजाय अपने मित्रों के खर्चे घटाएं मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर

मंडी, 18 अगस्त (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या में कटौती करने की बात तंज कसा है।

जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र के थुनाग में कहा कि ये सुक्खू सरकार भी गजब की है जो यूपीएससी से क्वालिफाई नए अधिकारियों को लेने से इनकार कर रही है, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं।

उन्होंने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की तरफ ईशारा करते हुए कहा कि यह अधिकारी सीएम को इतने प्रिय है कि जब विपक्ष में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद सरकार का कार्यकाल एक वर्ष का बचा है जबकि इस अधिकारी को एक्सटेंशन दो वर्षों की दे दी गई है।

अधिकारियों से तौबा करने वाले सीएम ने खुद चेयरमैन और वायस चेयरमैन की कैबिनेट रैंक के साथ फौज खड़ी कर रखी है।

सीपीएस की गैरकानूनी ढंग से नियुक्तियां करके प्रदेश के पैसों का दुरुपयोग किया। यह खर्चे सीएम को नजर नहीं आते जबकि अधिकारियों के ही खर्चे नजर आ रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू ने चेयरमैन और वायस चेयरमैन के पदों पर भी किसी कांग्रेसी को नहीं बैठाया है।

बल्कि वहां पर अपने मित्रों की फौज खड़ी कर रखी है। आज भी इन नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है।

फॉर्म नं. 14
[नियमों 33(2) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय- I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी
सुवर्णा भवन, मकान नंबर 12, न्यू टाउन पथ, हनुमान मंदिर के पास, जी.एस. रोड, उलुबरी, गुवाहाटी- 781007 (असम)

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आर सी/29/2026
इंडियन बैंक
-बनाम-
मेसर्स ए एल एंटरप्राइजेज

प्रति,
(सीडी 1) मेसर्स ए एल एंटरप्राइजेज
गंगा मार्केट, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111
(सीडी 2) श्री अब्राहम लोंडा
पिता- श्री टागोक लोंडा, मेसर्स ए एल एंटरप्राइजेज के मालिक, एसपी कॉलोनी के पास, रतन कॉलोनी, ईटानगर, जिला- पापुम पारे, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश- 791113

सूचित किया जाता है कि प्रिजाईडिंग आफिसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा **ओ ए/28/2025** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 31,31,946.50 (इकतीस लाख इकतीस हजार नौ सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे मात्र)** पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज के साथ @16.00% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावी **27-12-2024** तक वसूली एवं लागत **रु. 34,005/- (चौंतीस हज़ार पाँच रुपये मात्र)** आपके विरुद्ध बकाया हो गया है (संयुक्त और अलग-अलग / पूर्ण / सीमित रूप से)।

(1) वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय राशि:	रु.	31,31,946.50
(2) **27-12-2024** से **03-05-2026** तक @ 16.00 % ब्याज	रु.	7,42,067.33
(3) लागत	रु.	34,005.00
कुल	रु.	39,08,018.83
वसूली (-)	रु.	00.00
	रु.	39,08,018.83

2. आपको **पेपर प्रकाशन** प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए **14-10-2026** को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) ऐसे ब्याज जो प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय हैं।
(ख) इस नोटिस की सेवा और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर, इस तिथि: **23-07-2026** को दिया गया हैं।

वसूली अधिकारी- II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण गुवाहाटी

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

ईटानगर शाखा
ए. पी. सरकार सचिवालय के विपरीत, 52 ए राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला- पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश, पिन- 791111

परिशिष्ट- IV
{नियम - 8(1)}
कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते हमारे **ईटानगर शाखा** के उधारकर्ता- **(1) श्री रामजो पोरडुंग (उधारकर्ता/बंधककर्ता), पिता- तसर पोरडुंग, पोरडुंग नामलो, डोकम कॉलोनी, ईटानगर, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111, (2) श्रीमती मोनिका रिजिजू (सह-आवेदक), पति- श्री रामजो पोरडुंग, पोरडुंग नामलो, डोकम कॉलोनी, ईटानगर, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111** को दिनांक **17-03-2026** को एक मांग सूचना जारी किया था, जिसमे उल्लिखित राशि **रु. 2,18,01,551.00 (दो करोड़ अठारह लाख एक हज़ार पाँच सौ इक्यावन रुपये मात्र) + दिनांक 17-03-2026 के अनुसार ब्याज, शुल्क और लागत लागू** के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, उधारकर्ता और आम जनता को सूचना दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 और 9 के तहत उन्हे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस **13-08-2026** दिनांक को कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से और साधारण तोर पर आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का लेन-देन न करें और इस संपत्ति के साथ किसी भी तरह की लेन-देन इंडियन बैंक के साथ **रु. 2,13,79,922.00 (दो करोड़ तेरह लाख उन्यासी हज़ार नौ सौ बाईस रुपये मात्र) + दिनांक 13-08-2026 के अनुसार ब्याज, शुल्क और लागत लागू** पर होगी।

"हम सरफेइसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो प्रतिभूतियों पर आपके अधिकारों से संबंधित हैं।"

अचल संपत्ति का विवरण

रामजो पोरडुंग के नाम पर सरकारी भूमि आवंटन आदेश सं. डीसी-आईसीसी-12011/29/2018, दिनांक 18-06-2018, भूमि आवंटन पासबुक सं. आईटीए-21/57/2018, बंधक प्रमाणपत्र सं. डीसी-आईसीसी-12011/29/2018 दिनांक 06.08.2018, गैर-भार प्रमाणपत्र सं. डीसी-आईसीसी-12011/29/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा डोकम कॉलोनी, ईएसएस सेक्टर, डाकघर और थाना- ईटानगर, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111 मे स्थित **857 वर्ग मीटर** माप की भूखंड पर भूमि और भवन का पंजीकृत बंधक, **जो घिरा है:- उत्तर-** खड़ी ढलान, **दक्षिण-** अंदरुनी सड़क, **पूर्व-** सेक्टर रोड, **पश्चिम-** अजीत डोलो का प्लॉट।

दिनांक : 13-08-2026
जगह : ईटानगर

प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)

फॉर्म नं. 14
[नियमों 33(2) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय- I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी
सुवर्णा भवन, मकान नंबर 12, न्यू टाउन पथ, हनुमान मंदिर के पास, जी.एस. रोड, उलुबरी, गुवाहाटी- 781007 (असम)

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आर सी/54/2026
इंडियन बैंक
-बनाम-
मेसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन कंपनी

प्रति,
(सीडी 1) मेसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन कंपनी
मालिक- श्री किटो सोरा, पता- डी सेक्टर, नाहरलागुन, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश- 791110
(सीडी 2) श्रीमती तागुंग नेरी
पता - डी सेक्टर, नाहरलागुन, पिन- 791110, अरुणाचल प्रदेश।
(सीडी 3) श्रीमती जिदाम हिरी
पता - डी सेक्टर, नाहरलागुन, पिन- 791110, अरुणाचल प्रदेश।

सूचित किया जाता है कि प्रिजाईडिंग आफिसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा **ओ ए/210/2022** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 1,00,60,171.86 (एक करोड़ साठ हज़ार एक सौ इकहत्तर रुपये और छियासी पैसे मात्र)** पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज के साथ @13.50% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावी **22-03-2021** तक वसूली एवं लागत **रु. 1,03,010/- (एक लाख तीन हज़ार दस रुपये मात्र)** आपके विरुद्ध बकाया हो गया है (संयुक्त और अलग-अलग / पूर्ण / सीमित रूप से)।

(1) वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय राशि:	रु.	1,00,60,171.86
(2) **22-03-2021** से **03-05-2026** तक @ 13.50 % ब्याज	रु.	87,63,565.47
(3) लागत	रु.	1,03,010.00
कुल	रु.	1,89,26,747.33
वसूली (-)	रु.	3,00,000.00
	रु.	1,86,26,747.33

2. आपको **पेपर प्रकाशन** प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए **30-09-2026** को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) ऐसे ब्याज जो प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय हैं।
(ख) इस नोटिस की सेवा और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर, इस तिथि: **17-07-2026** को दिया गया हैं।

वसूली अधिकारी- I
ऋण वसूली न्यायाधिकरण गुवाहाटी

फॉर्म नं. 14
[नियमों 33(2) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय- I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी
सुवर्णा भवन, मकान नंबर 12, न्यू टाउन पथ, हनुमान मंदिर के पास, जी.एस. रोड, उलुबरी, गुवाहाटी- 781007 (असम)

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आर सी/55/2026
इंडियन बैंक
-बनाम-
मेसर्स टी. एम. एंटरप्राइजेज

प्रति,
(सीडी 1) मेसर्स टी एम एंटरप्राइजेज
मालिक- श्रीमती तापी अमुंग, पता- जी एक्सटेंशन, नाहरलागुन, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश- 791110
(सीडी 2) श्रीमती जिदाम हिरी
पता- हंग गांव, जीरो, जिला- लोअर सुबनसिरी, पिन- 791120, अरुणाचल प्रदेश।

सूचित किया जाता है कि प्रिजाईडिंग आफिसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा **ओ ए/213/2022** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 34,80,150.03 (चौंतीस लाख अस्सी हज़ार एक सौ पचास रुपये और तीन पैसे मात्र)** पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज के साथ @13.50% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावी **01-06-2021** तक वसूली एवं लागत **रु. 37,010/- (सैंतीस हज़ार दस रुपये मात्र)** आपके विरुद्ध बकाया हो गया है (संयुक्त और अलग-अलग / पूर्ण / सीमित रूप से)।

(1) वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय राशि:	रु.	34,80,150.03
(2) **01-06-2021** से **23-04-2026** तक @ 13.50 % ब्याज	रु.	30,49,203.72
(3) लागत	रु.	37,010.00
कुल	रु.	65,66,363.75
वसूली (-)	रु.	1,95,000.00
	रु.	63,71,363.75

2. आपको **पेपर प्रकाशन** प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए **07-10-2026** को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) ऐसे ब्याज जो प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय हैं।
(ख) इस नोटिस की सेवा और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर, इस तिथि: **16-07-2026** को दिया गया हैं।

वसूली अधिकारी- II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण गुवाहाटी

प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम करने के बजाय अपने मित्रों के खर्चे घटाएं मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर

मंडी, 18 अगस्त (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या में कटौती करने की बात तंज कसा है। जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र के थुनाग में कहा कि ये सुक्खू सरकार भी गजब की है जो यूपीएससी से क्वालिफाई नए अधिकारियों को लेने से इनकार कर रही है, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं।

उन्होंने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की तरफ ईशारा करते हुए कहा कि यह अधिकारी सीएम को इतने प्रिय है कि जब विपक्ष में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद सरकार का कार्यकाल एक वर्ष का बचा है जबकि इस अधिकारी को एक्सटेंशन दो वर्षों की दे दी गई है। अधिकारियों से तौबा करने वाले सीएम ने खुद चेयरमैन और वायस चेयरमैन की कैबिनेट रैंक के साथ फौज खड़ी कर रखी है। सीपीएस की गैरकानूनी ढंग से नियुक्तियां करके प्रदेश के पैसों का दुरुपयोग किया। यह खर्चे सीएम को नजर नहीं आते जबकि अधिकारियों के खर्चे नजर आ रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू ने चेयरमैन और वायस चेयरमैन के पदों पर भी किसी कांग्रेसी को नहीं बैठाया है। बल्कि वहां पर अपने मित्रों की फौज खड़ी कर रखी है। आज भी इन नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। लगातार मंत्रीमंडल के विस्तार की बातें सरकार द्वारा कही जा रही हैं लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। सीएम खुद अपना उपहास बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदा से भी ज्यादा नुक्सान सुक्खू सरकार की गलत नीतियों से पहुंचा है।